तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्रीमती अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

——

निर्णय

दिनांकः— 27.07.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 59/2004 बउनवानी मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अप्रार्थीगण ने विद्वान उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 1955 प्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खिलचीपुर के माफी की की आराजी खसरा नंबर 570 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 867 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 868 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 869 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 870 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 871 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 872 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 873 रकबा 18 बिस्वा, ख्सरा नंबर 874 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि सदैव मंदिर माफी की आराजी रही है जिसकी खातेदारी संवत् 2022 से 2025 तक मंदिर के नाम रही है परन्तु संवत् 2026 से 2029 की जमाबंदी में ठाकुर जी का नाम जमाबंदी से हटाकर पुजारी किस्तुर चंद की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध इंद्राज है । इस अवैध इंद्राज के आधार पर खसरा नंबर 867 रकबा 1 बीघा 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा भूमि गोपी पुत्र सालगा मीना के नाम दर्ज कर दी गई जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का पिता था जिसको मंदिर की और से उक्त आराजी को आधा बट पर काश्त के लिए दे रखी थी। इसी प्रकार खसरा नंबर 868 अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 के नाम लगा दी गई जबकि उन्हें उक्त आराजी मंदिर की और से आधा बट पर काश्त के लिए दे रखी थी । इसके अलावा आराजी खसरा नंबर 869, 870, 871, 872, 873, 874, 570 जो मंदिर की भूमि है उसे किस्तुरचंद के खाते में दर्ज कर दिया गया है जो किस्तुरचंद की मृत्यु उपरांत उनकी बेवा मुन्नी देवी के नाम गलत इंद्राज से दर्ज है । इस गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण/वर्तमान प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आ गई है इस कारण वो मंदिर की भूमियों से होने वाली आय को मंदिर को सौंपे जाने में ऐतराज करने लगे है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) स्वीकार कर विवादित आराजियात को कुर्क कर कब्जे राज लेते हुए तहसीलदार, सवाई माधोपुर को दावे के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त किया जावे । उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 13.01.2004 द्वारा प्रार्थीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) स्वीकार कर विवादित आराजियात पर तहसीलदार, सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त कर विवादित आराजियात कब्जे राज लेने के आदेश पारित किए । इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 02.05.2005 द्वारा खारिज की गई । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 02.05.2005 एवं उप जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2004 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है । निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात है जिस पर वे निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है । धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	212 (2) राज0काश्त0अधि0 1955 में सीधे ही रिसीवर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है । अप्रार्थीगण का यदि विवादित आराजियात पर कोई हक व अधिकार है तो उन्हें बेदखली का वाद पेश करना चाहिये था । अप्रार्थीगण ने मंदिर के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) पेश किया है किन्तु इस संबंध में न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है । दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को नहीं देखा कि अप्रार्थीगण को विवादित आराजियात बाबत् रिसीवरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं था । राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय आर0आर0डी0 1987 पेज 281 में यह प्रतिपादित किया है कि जनहित में उत्तराधिकारी की हैसियत से धारा 88 व 183 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है । विवादित भूमि मंदिर की थी अथवा नहीं इस संबंध में धारा 221 के तहत सहायक कलक्टर को रिकार्ड जांच करने के निर्देश दिये गये है । और आवश्यकता हो तो जिला कलक्टर धारा 82 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत रेफरेंस प्रस्तुत कर सकते है । इस कारण प्रार्थीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्ति संधारण योग्य नही था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दस्तवोजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया सिद्ध किया था कि विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के पूर्व से बतौर खातेदार चला आ रहा था । जब तक मंदिर को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तब तक अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही कर सकते है तथा ना ही रिसीवर नियुक्त करवा सकते है । रिसीवर का अनुतोष कठोर प्रावधान है जिसे साधारण परिस्थितियों में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद विवादित भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया है जो विधिविरूद्ध है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा विवादित आराजियात के नष्ट होने की संभावना नहीं होने के बावजूद रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । आर0आर0डी0 1990 पेज 188 में यह प्रतिपादित किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि प्रार्थीगण को अतिक्रमी भी मान लिया जावे तो भी उसे रिसीवरी के आड़ में विवादित आराजियात से बेदखल नही किया जा सकता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने के संबंध में उचित कारण अंकित किए बिना रिसीवर नियुक्ति के आदेश पारित किए है जो विधिविरूद्ध है । विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण को केश सिक्युरिटी पर भूमि काश्त हेतु दी जानी चाहिये थी। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05. 2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2004 निरस्त किये जावे । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 पेज 7, आर0आर0डी0 2000 पेज 72, डी0एन0जे0 2009 पेज 287 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । ग्राम खिलचीपुर की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के मुताबिक विवादित आराजियात खसरा नंबर 570, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 कुल किता 9 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी वाके अहतमाम पुजारी किस्तुरचंद वल्द ग्यारसीलाल साकिन देह की खातेदारी की है । मंदिर की भूमियों से मंदिर के प्रसाद, रख–रखाव आदि व्यवस्था होती रही है । पुजारी किस्तुरचंद द्वारा मंदिर की आराजियात को आधे बट पर काश्त करवायी जाती रही है जो मंदिर की और से करवाई जाती थी । किन्तु किस्तुरचंद ने मंदिर की आराजियात को संवत् 2026 से 2029 की जमाबंदी में स्वंय के नाम लगवा ली तथा जमाबंदी में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी का नाम हटा दिया । मंदिर मूति शाश्वत नाबालिग है जिसकी सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का है । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर प्रार्थीगण विवादित आराजियात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा आराजी की आय से मंदिर को वंचित कर रहे है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर उपखण्ड अधिकारी ने विवादित आराजियात पर रिसीवरी के आदेश पारित किए है जो विधिसम्मत् आदेश है तथा उक्त आदेश विधिसम्मत् होने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत् रखा है । मंदिर मूर्ति की आराजियात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत मंदिर मूति के हितार्थ धारण हुई भूमि में धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधों के कारण किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1987 पेज 281 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण मूल रूप से वाद में होगा । वर्तमान में अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बाबत् ही मुख्य रूप से विचार किया जाना है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान शेरपुर खिलचीपुर, तहसील सवाई माधोपुर की खातेदारी में दर्ज थी। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा राज0काश्त0अधि0 की धारा 46 के अनुसार मूर्ति को सतत् अव्यस्क की श्रेणी में माना गया है । मूर्ति मंदिर की भूमि का खातेदार मूर्ति मंदिर को ही माना जाता है । पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । जहां पर वादग्रस्त आराजी के वेस्ट, डेमेज अथवा ऐलिनियेट किए जाने की संभावना हो वहां पर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना ही विकल्प होता है । वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजियात पूर्व में मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज रही है, जैसा कि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। पुजारी के रूप में किस्तुरीचंद पिसरान ग्यारसीलाल कौम ब्राहम्ण का नाम अंकित है । इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादग्रस्त आराजियात पर तहसीलदार, सवाई माधोपुर को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2681/2005/सवाईमाधोपुर** **मुन्नी व अन्य बनाम मंदिर लक्ष्मीनारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिसीवर नियुक्त कर काश्त की व्यवस्था करने एवं आय–व्यय का हिसाब रखने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत् है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें निगरानी के स्तर पर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है । निगरानी का दायरा सीमित होता है । निगरानी के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षैत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि कारित की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की हो । परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 02.05. 2005 की पुष्टि की जाती है । तहत् न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया । (रामदयाल मीणा) सदस्य	